वेवेल योजना (4 जून 1945) / (शिमला समझौता के माध्यम से)

→ इसमें वायसराय की कार्यकारिणी को फिर से गठित करने की बात की गई जिसमें हिन्दू - मुस्लिमों को बराबर स्थान दिया जाएगा।

→ युद्ध समाप्ति पश्चात भारतीय स्वंय अपना संविधान बनाएँगे।

इस योजना के बाद शिमला सम्मेलन हुआ (25 जून - 14 जुलाई 1945 के बीच) इसमें मुस्लिम लीग ने यह माँग रखी कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद् में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन स्वंय मुस्लिम लीग करेगी। यह माँग कांग्रेस द्वारा नकार दी गई और वेवेल योजना असफल हो गई।

कैबिनेट मिशन (March 1946)

→ लेबर पार्टी के P.M क्लीमेंट एटली ने सर पैंथिक लारेंस के नेतृत्व में कैबिनेट मिशन भारत भेजा जिसने निम्न प्रावधान किए -

- एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा।
- प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक संविधान सभा प्रतिनिधि का चुनाव किया जाएगा। यह चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली द्वारा होगा अर्थात प्रांतीय विधानमण्डल के सदस्य संविधान सभा प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे।

→ इसको स्वीकार कर लिया गया। अब बारी संविधान सभा के गठन की।

संविधान सभा का गठन

→ उस समय का भारत तीन हिस्सों में बँटा था -

① ब्रिटिश भारतीय राज्य

② देशी रियासतें (Princely state)

③ कमीश्नरी (वर्तमान के केन्द्रशासित प्रदेशों की तरह) - ये थी - (i) दिल्ली, कुर्ग, अजमेर और बलूच (4 थी)

→ संविधान सभा के चुनाव के लिए कुल 389 सीटों का गठन किया गया जिसमें से -

- प्रांत (ब्रिटिश भारतीय राज्य) - 292
- देशी रियासतो से - 93
- कमीश्नरी से - 04

} कुल - 389

इनमें से 15 महिलाएँ थी

Scanned by CamScanner

→ प्रांत + कमीश्नरी की 296 (292+4) सीटों में से 213 सामान्य सीटें, 79 मुस्लिम आरक्षित तथा 04 सिखों के लिए आरक्षित थीं।

296 → 213 सामान्य
→ 79 मुस्लिम के लिए
→ 04 सिखों के लिए

→ इसके बाद संविधान सभा का चुनाव हुआ जिसमें
कांग्रेस - 208
मुस्लिम - 73 } को सीटें मिली। [शेष 15 सीटें छोटे समूहों और स्वतंत्र सदस्यों को मिली]

→ इसमें एंग्लो इण्डियन का प्रतिनिधित्व - फ्रैंक एंथनी द्वारा किया गया तथा पर्शियन का प्रतिनिधित्व P. M. मोदी ने किया

→ संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसम्बर 1946 को हुई। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मॉंग पर बल दिया। इसीलिए बैठक में केवल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डा० सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया।

नोट :- मुस्लिम लीग के संविधान सभा से अलग हो जाने के कारण 1946 के माउंटबेटन योजना के तहत तय की गई सदस्यों की कुल संख्या 389 के बजाय 299 तक आ गिरी। ब्रिटिश प्रांतों की संख्या 296 से 229 और देशी रियासतों की संख्या 93 से 70 कर दी गई।

→ संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 Dec 1946 को हुई। इसमें राजेन्द्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। Dr. H.C मुखर्जी तथा V.T कृष्णामचारी सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। [दो उपाध्यक्ष] V.N. राव को संविधान सभा का सलाहकार नियुक्त किया गया।

→ 13 Dec 1946 को पंडित नेहरू (जवाहरलाल) ने सभा में 'उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसमें कहा गया - यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र, संप्रभु गणराज्य घोषित करती है तथा अपने भविष्य के प्रशासन चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की घोषणा करती है।

Scanned by CamScanner

संविधान सभा की समितियाँ

- प्रारूप समिति (Drafting Committee)

→ यह संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति थी जिसका गठन 29 Aug. 1947 को किया गया। इसे संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसमें सात सदस्य थे -

(i) डा॰ B. R. अम्बेडकर (अध्यक्ष)
(ii) सैय्यद मुहम्मद सादुल्ला
(iii) K.M. मुंशी
(iv) अल्लादी कृष्णा स्वामी आयंगर
(v) T.T. कृष्णामचारी (इन्होने 1948 में D.P खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली।)
(vi) N. माधवराव (इन्होने B.L मित्र की जगह ली, जिन्होने स्वास्थ्य कारणो से इस्तीफा दे दिया था।)
(vii) N. गोपाल स्वामी आयंगर

NOTE :- डा॰ भीम राव अम्बेडकर संविधान सभा में पूर्वी बंगाल से निर्वाचित होकर आए थे। लेकिन पूर्वी बंगाल के पाकिस्तान में चले जाने के कारण ये पुनः पूना से निर्वाचित होकर संविधान सभा के सदस्य बने।

अन्य महत्वपूर्ण समितियाँ एवं उनके अध्यक्ष

1. संघ शक्ति समिति - जवाहरलाल नेहरू
2 - संघीय संविधान समिति - जवाहर लाल नेहरु
3 - प्रांतीय संविधान समिति - सरदार पटेल
4 - मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा वहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति - सरदार पटले

इस समिति के अन्तर्गत पाँच उपसमितियाँ थीं -

(i) मौलिक अधिकार उपसमिति - J.B. कृपलानी
(ii) अल्पसंख्यक उप समिति - H.C. मुखर्जी
(iii) पूर्वोत्तर सीमांत (असम को छोड़कर) हेतु उप समिति - गोपीनाथ बरदोई

→ इनके अलावा दो और थीं।

5. संचालन समिति - डा॰ राजेन्द्र प्रसाद -(रियासत समिति के भी)
6 - झंडा समिति - डा॰ राजेन्द्र प्रसाद
7 - सर्वोच्च न्यायालय समिति - S. वरदाचारी (सभा के सदस्य नही थे)
8 - कार्य संचालन समिति - डा॰ K.M. मुंशी
9 - राज्यों के लिए समिति - जवाहरलाल नेहरु
10 - प्रेस समिति - उषा नाथ सेन

Scanned by CamScanner

→ इन समितियों ने जो प्रस्ताव दिये उनके आधार पर प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार कर फरवरी 1948 में ~~प्रकाशित~~ किया सभा में पेश किया। इसमें कुछ संशोधन कर [लोगों की सुझावों, आलोचना आदि के आधार पर] प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप तैयार कर अक्टूबर 1948 में पेश किया।

→ संविधान के इस प्रारूप पर तीन चरणों में वाचन (debate) हुआ [114 दिन debate हुआ]

(i) 4 नवम्बर 1948 - 9 नवम्बर 1948 तक
(ii) 15 नवम्बर 1948 - 17 अक्टूबर 1949 तक
(iii) 14 नवंबर 1949 - 26 नवम्बर 1949 तक

→ तीसरे चरण के वाचन के बाद हमारा संविधान पूर्ण माना गया और इसे पारित घोषित कर अध्यक्ष व सदस्यों के हस्ताक्षर लिए गए। सभा के कुल 299 सदस्यों में उस दिन केवल 284 सदस्य उपस्थित थे जिनमे (8) महिलायें थीं [हंसा मेहता, सरोजिनी नायडू आदि] संविधान पर इन्ही 284 लोगो ने हस्ताक्षर किए।

→ यद्यपि संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ किन्तु 26 नवम्बर को ही कुछ अनुच्छेद लागू हो गये थे - ये थे - 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 [कुल (15) अनुच्छेद]

> 26 नवम्बर 1949 को अपनाये गए संविधान में 22 भाग प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं

→ संविधान सभा को 26 जनवरी 1950 को इसलिए लागू किया गया क्योंकि 26 जनवरी को ही राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन (1929) में पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में ~~मा~~ मनाये जाने का निर्णय लिया गया था।

नोट: - • संविधान निर्माण में कुल समय - 2 साल 11 माह 18 दिन।
• कुल सत्र - 11
• संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। इसी दिन डा० राजेन्द्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया।

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner